संख्या–563/2017/**XXVii-8**/20(120)/2016

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।
2. समस्त वित्त नियंत्रक,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वित्त अनुभाग–8 देहरादूनः: दिनांकः 12 जुलाई, 2017

विषयः– जी0एस0टी0 प्रणाली लागू हो जाने के उपरान्त टी0डी0एस0 कटौती के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कतिपय विभागाध्यक्षों/वित्त नियंत्रकों द्वारा राज्य में दिनांक 01 जुलाई, 2017 से जी0एस0टी0 प्रणाली लागू हो जाने के उपरान्त टी0डी0एस0 कटौती से सम्बन्धित बिलों के भुगतान में आ रही कठिनाईयों के दृष्टिगत निम्नलिखित पृच्छाओं पर स्थिति स्पष्ट किये जाने का अनुरोध किया गया हैः–

(क) दिनांक 01 जुलाई, 2017 से पूर्व बीजक जारी किया गया हो, में टी0डी0एस0 जी0एस0टी0 के अनुसार कटौती की जायेगी अथवा वैट अधिनियम, 2005 के अनुसार।

(ख) दिनांक 01 जुलाई, 2017 से जारी बीजकों के सन्दर्भ में टी0डी0एस0 की कटौती उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम,2017 के अनुसार वर्तमान में की जानी है अथवा नहीं।

2. उक्त बिन्दु–क के सन्दर्भ में मुझे यह अवगत कराने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 142 की उपधारा (13) में यह प्राविधानित है कि ऐसे माल जिसके सम्बन्ध में उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 के अधीन स्रोत पर कर की कटौती करना अपेक्षित था और जिसके सम्बन्ध में दिनांक 01 जुलाई, 2017 से पूर्व बीजक जारी किया गया है, के सन्दर्भ में दिनांक 30 जून, 2017 के पश्चात् भुगतान होने पर भी उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 51 के अधीन स्रोत पर कर की कोई कटौती नहीं की जायेगी। ऐसे मामलों में उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 35 तथा तत्सम्बन्धी नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

3. उपरोक्त बिन्दु–ख के सम्बन्ध में अगवत कराना है किं केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 एवं उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 51 वर्तमान में प्रभावी न होने के दृष्टिगत दिनांक 30 जून, 2017 के उपरान्त जारी किये गये बीजकों के सम्बन्ध में किये जाने वाले भुगतान पर उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के प्राविधानों के अनुसार टी0डी0एस0 कटौती किया जाना वर्तमान में अपेक्षित नहीं है।

कृपया उक्तानुसार टी0डी0एस0 कटौती से सम्बन्धित प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

संख्या–563/2017/**XXVii-8**/20(120)/2016,तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. उत्तराखण्ड कर आयुक्त, देहरादून।
2. अनुभाग अधिकारी, वित्त अनुभाग–6 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त शासनादेश को अपने स्तर से सभी वित्त नियंत्रतों/डी0डी0ओ0 के मध्य प्रसारित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(हीरा सिंह बसेड़ा)
अनु सचिव।

Letter section/